



Neutral Citation Number– 2026:AHC:57368

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-8511/2026

जितेंद्र उर्फ गंधा

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: दरवारी लाल

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दरवारी लाल और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह तत्काल जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-326/2025 (धारा 309(6), 317(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना-क्योलड़िया, जिला-बरेली में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं था। बाद में, 210 रुपये और एक देसी तमंचा की बरामदगी, और साथ ही दो अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक टेम्पो की बरामदगी के आधार पर, उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि आवेदक के खिलाफ कोई अन्य दोषपूर्ण सामग्री मौजूद नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक ने साथ में दिए गए हलफनामे में अपने तीन मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी सोनू उर्फ सोमपाल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-7732/2026 में दिनांक 27.02.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 16.11.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्य पर कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है; साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार सह-आरोपी बृज लाल से बरामद कर लिया गया है; और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को भी देखते हुए; तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को भी ध्यान में रखते हुए; और कपिल वधवान बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में रिपोर्टेड), मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों पर विचार करते हुए; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर पहुँचता हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **जितेंद्र उर्फ गंठा** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: -

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

सीएस/-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"